विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : पंचायती राज विभाग।

तारांकित प्रश्न संख्या : *1056

उत्तर की तिथि

: 19 दिसम्बर , 2023

विषय

: निविदाएं

प्रश्नकर्ता का नाम सम्बन्धित मंत्री

: श्री पूर्ण चन्द ठाकुर (दरंग) : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री।

प्रश्न	उत्तर
क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	
बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जो निविदाएं की	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
जाती है उनके मापदण्ड क्या हैं; मदवार ब्यौरा	
दें ?	

श्री पूर्ण चन्द ठाकुर (दरंग) द्वारा किये गये तांरांकित प्रश्न संख्या *1056 से सम्बंधित सभा पटल पर रखी गई सूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 67 में स्टोर (सामान) क्रय तथा निविदा आमन्त्रित करने बारे प्रावधान किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है:-

नियम 67(1) अनुसार स्टोर (सामान) उतनी मात्रा में ही क्रय किया जाना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। एक समय में आवश्यकता से अधिक सामान क्रय नहीं किया जाना चाहिए।

नियम 67(2) अनुसार स्टोर (सामान) की तुरन्त कितनी जरूरत है इस बारे पंचायत द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा उसे अनुमोदित की जाएगी।

नियम 67(3) में प्रावधान है कि स्टोर (सामान) के क्रय करने हेतू एक उप समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें :-

- (क) ग्राम पंचायत की दशा में, प्रधान, उप-प्रधान, दो वार्ड सदस्य, और ग्राम पंचायत का सचिव;
- (ख) पंचायत समिति की दशा में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के तीन सदस्य, और पंचायत समिति का सचिव; और
- (ग) जिला परिषद् की दशा में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद् के पांच सदस्य, और जिला परिषद् का सिचव।

नियम 67(4) अनुसार स्टोर (सामान), आमतौर पर राज्य सरकार के मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग के नियंत्रक से अथवा उन व्यक्तियों अथवा फर्मों जो स्टोर (सामान) नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश की सूची पर अनुमोदित हैं, उनसे खरीद किया जाना चाहिए।

उक्त वर्णित फर्मों के अतिरिक्त स्टोर (सामान), नियम 67 (5) निम्नलिखित रीति में खुले बाजार से क्रय किया जा सकता है :-

- (क) जब क्रय किये जाने वाले स्टोर (सामान) का मूल्य पचास हजार रूपए से अधिक है तो क्षेत्र में प्रचलित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा निविदा आमंत्रित करते हुए; या
- (ख) जब क्रय किये जाने वाले स्टोर (सामान) का मूल्य पचास हजार रूपए से कम किन्तु एक हजार रूपए से अधिक है तो, कम से कम तीन व्यक्तियों/फर्मों से कोटेशन आमंत्रित करते हुए; या

(ग) जब स्टोर (सामान) का मूल्य एक हजार रूपए से कम है, तो बिना कुटेशन आमन्त्रित किये खुले बाजार से क्रय किया जा सकता है।

नियमों में यह भी प्रावधान है कि जिस फर्म या व्यक्ति की कुटेशन स्वीकृत हो जाती है परन्तु परन्तु वह व्यक्ति या फर्म तय तारीख तक स्टोर (सामान) की आपूर्ति करने में असमर्थ रहता हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या फर्म, जिस ने अगली अधिक दर प्रस्तुत की है, उससे सामान क्रय किया जा सकता है परन्तु ऐसा करने से पूर्व लिखित कारण अभिलेख में रखने होंगें ताकि अंकेक्षण के समय इन कारणों को बताया जा सके।

वित नियम 93 में पंचायतों द्वारा विकास कार्यों के निष्पादन की रीति का वर्णन है जिसके अनुसार पंचायतें निम्नलिखित समितियों के माध्यम से विकास कार्यों का निष्पादन करवायेगी :-

- (क) ग्राम पंचायत की दशा में, हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 में वर्णित कार्य समिति के माध्यम से कार्य करवाये जायेंगे। इस समिति में प्रधान या उप प्रधान के अतिरिक्त दो अन्य पंचायत सदस्य शामिल होंगे।
- (ख) पंचायत समिति और जिला परिषद् की दशा में पंचायत समिति और जिला परिषद् द्वारा गठित कार्य समिति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :-
- (I) पंचायत समिति या जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, कार्य समिति का अध्यक्ष होगा।
- (II) पंचायत समिति या जिला परिषद् के दो अन्य सदस्य, जिसमें से एक उस वार्ड का सदस्य होगा, जिसमें विकास कार्य निष्पादित किया जाना है।
- (III) पंचायत समिति की दशा में पंचायत निरीक्षक और जिला परिषद् की दशा में सचिव जिला परिषद् कार्य समिति का सदस्य-सचिव होगा जो कार्य के निष्पादन पर होने वाले व्यय के लेखे को संधारित करने के लिए उतरदायी होगा।

नियमों में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक पृथक-2 कार्य समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

- (ग) रजिस्ट्रीकृत निकाय जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल, वाटरशैड विकास समिति आदि के माध्यम से भी विकास कार्यों को निष्पादन करवाया जा सकता है।
- (घ) यदि किसी कार्य की लागत पाँच लाख रूपए से अधिक है तो कुटेशन या निविदाएं आमंत्रित करके संविदाकार के माध्यम से भी विकास कार्यों को निष्पादन करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु नियमानुसार किसी कार्य के निष्पादन के लिए प्राथमिकता कार्य समिति को दिया जाना चाहिए।

वित नियम 97(1) अनुसार पांच लाख रूपये से अधिक की लागत के किसी कार्य को कोटेशन/निविदा के माध्यम से आमिन्त्रत करने हेतू पंचायत द्वारा क्षेत्र में व्यापक प्रचलित होने वाले कम से कम दो मुख्य समाचार पत्रों में प्रचार के माध्यम से निविदाओं को आमंत्रित करने उपरान्त कार्य निष्पादित किए जाएंगे।

पांच लाख रूपए के मूल्य से अधिक की लागत के कार्यों के लिए निविदा दस्तावेज (Tender Documents) तैयार करने और निविदा (Award of Tender) और कार्य आदेश (Work Order) प्रदान करने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनाई जाती है।

वित नियम 98 अनुसार कोटेशन/निविदांए आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी होंगे :-

- (क) ग्राम पंचायत के पांच लाख रूपए के मूल्य से अधिक और दस लाख रूपए तक की लागत के, कार्यों की दशा में इसके सचिव के माध्यम से, निविदांए आमंत्रित करके जो निविदाओं को आमंत्रित करने और अन्तिम रूप देने के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सहायता ले सकेगा।
- (ख) पंचायत के दस लाख रूपए मूल्य से अधिक की लागत के कार्यो की दशा में इसके सचिव के माध्यम से निविदांए आमंत्रित करके, जो निविदांओं को आमंत्रित करने और अन्तिम रूप देने के लिए, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की सहायता ले सकेगा। और उक्त अधिशासी अभियन्ता, सचिव द्वारा मांगी गई सहायता उसे प्रदान करेगा।